



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03082023-247832
CG-DL-E-03082023-247832

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3341]
No. 3341]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 3, 2023/श्रावण 12, 1945
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 3, 2023/SHRAVANA 12, , 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2023

सं. 24/2023

विषय: 01.01.2021 से शीर्षक 5208 के तहत 18 एचएस कोड के लिए आरओडीटीईपी के नियमितीकरण के संबंध में।

का.आ. 3492(अ).—शीर्षक 5208 जिन्हें अधिसूचना संख्या 63 दिनांक 25.03.2023 के द्वारा परिशिष्ट 4द में जोड़ा गया था के तहत 18 एचएस कोडों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार किया गया है:

क्र.सं.	प्रशुल्क मद	वस्तुओं का विवरण (सीटीएच के अनुसार)
(1)	(2)	(3)
1	52084921	हथकरघा का
2	52084929	अन्य
3	52084990	अन्य
	520851	सादा बुनाई, जिसका वजन 100 ग्राम/वर्ग मीटर से अधिक नहीं

4	52085110	लुंगी
5	52085120	साड़ी
6	52085130	शर्टिंग फैब्रिक्स
7	52085140	कैसमेंट
8	52085150	कैम्ब्रिक्स (मैडापोलम और जेकोनेट सहित)
9	52085160	मुल्ल (लिम्ब्रिक और विलाया सहित)
10	52085170	मुल्ल (लिम्ब्रिक और विलाया सहित)
11	52085180	वॉयल्स (लेनो फैब्रिक को छोड़कर)
12	52085190	अन्य
	520852	सादा बुनाई, जिसका वजन 100 ग्राम/वर्ग मीटर से अधिक है
13	52085210	लुंगी
14	52085220	साड़ी
15	52085230	शर्टिंग फैब्रिक्स
16	52085240	कैसमेंट
17	52085250	कैम्ब्रिक्स (मैडापोलम और जेकोनेट सहित)
18	52085260	मुल्ल (लिम्ब्रिक और विलाया सहित)

2. (i) जबकि, आईसीईएस में सीमा शुल्क ईडीआई निर्देशिका में एक त्रुटि थी क्योंकि इसमें शीर्षक 5208 के उपर्युक्त 18 एचएस कोड शामिल नहीं थे, जो सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के कानूनी पाठ का हिस्सा हैं और निर्यातकों ने आरओडीटीईपी का दावा किया और लाभ उठाया, जिसमें निर्यात किए गए वस्तुओं को उक्त 18 एचएस कोड के अलावा 5208 के शीर्षकों के साथ प्रशुल्क लाइनों में वर्गीकृत किया गया था।
- (ii) जबकि, शीर्षक 5208 के उपर्युक्त 18 एचएस कोड 28.01.2023 से शिपिंग बिल प्रस्तुत करने के लिए आईसीईएस में सीमा शुल्क ईडीआई निर्देशिका में सक्षम किए गए हैं और हालांकि, डीजीएफटी अधिसूचना संख्या 63 दिनांक 25.03.2023 के तहत आरओडीटीईपी दरें अधिसूचित होने के बाद निर्यातक 28.03.2023 से आरओडीटीईपी लाभ का दावा कर सकते हैं।
- (iii) जबकि, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची की तुलना में वर्गीकरण में असंगतता देखने के कारण, कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं या 01.01.2021 से 27.01.2023 की अवधि से संबंधित निर्यात के समय आरओडीटीईपी लाभ की अनुमति नहीं दी गई है; और साथ ही, 28.01.2023 से 27.03.2023 की अवधि के लिए आरओडीटीईपी दावा सक्षम नहीं किया जा सका,
- (iv) जबकि, इस उक्त चूक को ठीक करने के संबंध में किए गए उपायों के क्रम को ध्यान में रखते हुए, 01.01.2021 से आरओडीटीईपी की अनुमति देने के साथ-साथ आरओडीटीईपी के नियमितीकरण का भी दावा किया गया है, जब तक कि यह शीर्ष 5208 के तहत एचएस कोड के तहत 01.01.2021 से 27.01.2023 तक दायर किए गए शिपिंग बिलों के तहत निर्यात के मामले में दावा किया गया था संबंधित शिपिंग बिलों में से किसी भी आवश्यक बदलाव से बच जाएगा, जिसके तहत निर्यात किया जाता है, दावों को बस अंतिम रूप दिया जाएगा और कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा, यदि कोई भी, पहले से ही जारी किए गए अनुसार निर्णय लिया जाएगा।
- (v) जबकि, 28.01.2023 से 27.03.2023 तक दायर किए गए शिपिंग बिलों के तहत निर्यात के मामले में, 01.01.2021 से आरओडीटीईपी की अनुमति देकर, आरओडीटीईपी निर्देशिका को अद्यतन करने और आईसीईएस/आईसीईजीएटीई में, जैसा कि आवश्यक है, सहित अन्य परिवर्तन करने के लिए सीबीआईसी में डीजी सिस्टम को सक्षम होना आवश्यक है, ताकि निर्यातकों को, जिन्होंने शिपिंग बिल में अपने निर्यात घोषणा में उक्त 18 एचएस कोड का दावा किया है, आरओडीटीईपी राशि के संबंध में एक पूरक दावा करने की अनुमति दी जा सके। इसके लिए, सीबीआईसी में डीजी सिस्टम एक सिस्टम एडवाइजरी जारी करेगा, जो

निर्यातकों (जिन्होंने शिपिंग बिल में अपने निर्यात घोषणा में 18 आठ अंकों की टैरिफ लाइनों का दावा किया है) को उक्त सिस्टम एडवाइजरी की तारीख के 180 दिनों के भीतर एक पूरक दावा करने की अनुमति दी जाएगी।

3. इसलिए, विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा –

- (i) उपर्युक्त पैरा 1 में तालिका में उल्लिखित इन 18 एचएस कोड के लिए डीजीएफटी अधिसूचना संख्या 63 दिनांक 25.03.2023 के अधिक्रमण में 01.01.2021 से आरओडीटीईपी की अनुमति देती है।
- (ii) निर्यातकों द्वारा प्राप्त आरओडीटीईपी को उपरोक्त पैरा 2 के उप-पैरा (iv) या (v) में उल्लिखित तरीके से, जैसा भी मामला हो 01.01.2021 से नियमित करती है।

इस अधिसूचना का प्रभाव : अधिसूचना संख्या 63/2015-20 दिनांक 25.03.2023 के माध्यम से अधिसूचित भौशीर्ष 5208 के तहत 18 एचएस कोड से संबंधित आरओडीटीईपी लाभ को राजस्व विभाग के परामर्श से नियमित किया जा रहा है।

[फा. सं. 01/61/180/155/एएम21/पीसी-3 भाग-2]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi the 3rd August, 2023

No. 24/2023

Subject: Regularization of RoDTEP for 18 HS Codes under Heading 5208 w.e.f 01.01.2021- reg

S.O. 3492(E).— The following is considered regarding 18 HS Codes under Heading 5208 which were added in Appendix 4R vide Notification No. 63 dated 25.03.2023:

Sl.No.	Tariff Item	Description of Goods (As per CTH)
(1)	(2)	(3)
1	52084921	Of Handloom
2	52084929	Other
3	52084990	Other
	520851	Plain weave, weighing not more than 100 g/m2
4	52085110	Lungi
5	52085120	Saari
6	52085130	Shirting Fabrics
7	52085140	Casement
8	52085150	Cambrics (including madapollam and jaconet)
9	52085160	Mull (including limbric and willaya)
10	52085170	Mull (including limbric and willaya)
11	52085180	Voils (excluding leno fabrics)
12	52085190	Others
	520852	Plain weave, weighing morew than 100 g/m2
13	52085210	Lungi
14	52085220	Saari
15	52085230	Shirting Fabrics

16	52085240	Casement
17	52085250	Cambrics (including madapollam and jaconet)
18	52085260	Mull (including limbric and willaya)

2. (i) Whereas, customs EDI directory in ICES had an error inasmuch as it did not contain above-mentioned 18 HS Codes of heading 5208 which form part of the legal text of the first schedule to Customs Tariff Act, 1975 and exporters claimed and availed RoDTEP wherein export goods were classified in tariff lines with in headings of 5208 other than the said 18 HS Codes,
- (ii) Whereas, above-mentioned 18 HS Codes of heading 5208 have been enabled in customs EDI directory in ICES for filing shipping bills w.e.f. 28.01.2023 and however, exporters could claim RoDTEP benefit from 28.03.2023 onwards after RoDTEP rates were notified vide said DGFT Notification no. 63 dated 25.03.2023,
- (iii) Whereas, on account of noticing inconsonance in classification vis-à-vis first schedule to Customs Tariff Act, 1975, show cause notices have been issued or RoDTEP benefit disallowed at the time of export relating to the period 01.01.2021 to 27.01.2023; and also, for the period 28.01.2023 to 27.03.2023 claiming the RoDTEP could not be enabled,
- (iv) whereas, taking in account the sequence of measures taken in connection to correcting this said omission, allowing RoDTEP since 01.01.2021 as well as the regularisation of the RoDTEP as claimed as such, as long as it was claimed against one of the HS Codes under heading 5208 in the case of exports under shipping bills filed from 01.01.2021 to 27.01.2023 would obviate any changes required in any of the relevant shipping bills under which exports stand made, that the claims would simply get finalized and show cause notices, if any, already issued would get decided accordingly,
- (v) whereas, in the case of exports under shipping bills filed from 28.01.2023 to 27.03.2023, by allowing RoDTEP since 01.01.2021, enablement from DG Systems in CBIC is required so as to update the RoDTEP directory and to make other changes, including in ICES/ICEGATE, as are necessary, so as to allow exporters, who claimed the said 18 HS Codes in their export declaration in shipping bill, to make a supplementary claim in respect of RoDTEP amount. For this, the DG Systems in CBIC shall be issuing a Systems Advisory allowing exporters (who claimed the 18 eight-digit tariff lines in their export declaration in shipping bill) to make a supplementary claim within 180 days of the date of the said Systems Advisory.
3. Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 and Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 read with Para 1.02 of the Foreign Trade Policy 2023, the Central Government hereby -
- (i) allows RoDTEP for these 18 HS codes mentioned in Table in Para 1 above w.e.f. 01.01.2021 in supersession of DGFT Notification no. 63 dated 25.03.2023 to that extent.
- (ii) regularizes the RoDTEP availed by the exporters w.e.f. 01.01.2021, in the manner as outlined in sub-para (iv) or (v) of Para 2 above, as the case may be.

Effect of this Notification: RoDTEP benefit relating to 18 HS codes under heading 5208 notified vide Notification no. 63/2015-20 dated 25.03.2023 is being regularized w.e.f. 01.01.2021, in consultation with Department of Revenue.

[F. No. 01/61/180/155/AM21/PC-3/Part-2]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade

Ex-officio Addl. Secy.